न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– **मुकुट सिंह, (आर०ए०एस०)**

मुकदमा नं० 37/2024

1. कविता यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
2. पूनम यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
3. रणविजय सिंह यादव पुत्र रणवीर सिंह यादव
4. रीमा यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
5. स्नेहलता यादव पत्नि रणवीर सिंह यादव
   समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी 16, श्रीराम वाटिका विवेकानंद मार्ग निवारू रोड झोटवाडा, जयपुर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. प्रिंस पाईपस एण्ड फिटिंग्स लि० मुम्बई जरिये अशोक जालान पुत्र किशोरीलाल जालान जाति महाजन निवासी एवरशाईन मिलेनियम पेराडाईज फेज 5 ठाकुर विपेज कांदिवली ईस्ट मुम्बई 400101
3. जयकिशन पुत्र रघुनन्दन प्रसाद जाति महाजन नि० फरीदाबाद प्रान्त हरियाणा।
4. रमेश चन्द पुत्र गोपीराम महाजन जाति महाजन नि० तावडू गुडगांव प्रान्त हरियाणा।
5. राममहेर पुत्र शोभाराम जाति अहीर (यादव) नि० सातोल जिला गुडगांव प्रान्त हरियाणा।
6. अविनाश चौधरी पुत्र लालाराम थाकण जाति जाट नि० बसेडी तह० व जि० जयपुर।
7. अश्विनी चौधरी पुत्री लालाराम थाकण जाति जाट नि० बसेडी तह० व जि० जयपुर।
8. गुलाब देवी पत्नि सूजा जाति गुर्जर नि० आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर।
9. बनवारी पुत्र सूजा जाति गुर्जर नि० आसलपुर तह० जोबनेर जिला जयपुर।
10. महेश कुमार चौधरी पुत्र गंगाराम चौधरी जाति जाट नि० बस्सी झाझडा तह० जोबनेर जि० जयपुर।
11. मांगीदेवी पुत्री सूजा जाति गुर्जर नि० आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
12. मालीराम पुत्र सुजा जाति गुर्जर नि० आसलपुर तह० जोबनेर जि० जयपुर।
13. संतोषदेवी पत्नि लालाराम थाकण जाति जाट नि० बसेडी तहसील व जिला जयपुर।
14. सुरेश चन्द चौधरी पुत्र बुद्वाराम चौधरी जाति जाट नि० बस्सीझाझडा जिला जयपुर।
15. अवधेश प्रताप सिंह पुत्र हरिसिंह जाति बडवा नि० तिवाडियो का बास वार्ड सं08 आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
16. जसवन्त सिंह पुत्र अमरसिंह जाति बडवा नि० जोबनेर जिला जयपुर।
17. परम प्रताप सिंह पुत्र हरिसिंह जाति बडवा नि० तिवाडियो का बास वार्ड सं08 आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

18. श्याम प्रताप सिंह पुत्र हरिसिंह जाति बडवा नि0 तिवाडियो का बास वार्ड सं08 आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
19. संग्राम सिंह पुत्र अमरसिंह
20. सज्जनसिंह पुत्र छीतरसिंह
21. हिम्मत सिंह पुत्र अमरसिंह

समस्त जाति बडवा नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

22. गोपाल लाल पुत्र हनुमान
23. नानूराम पुत्र हनुमानलाल
24. भोलूराम पुत्र हनुमानलाल
25. मंगलचन्द पुत्र हनुमानलाल
26. सीताराम पुत्र हनुमानलाल

समस्त जाति कुम्हार/प्रजापति नि0 आसलपुर तह0 जाबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू0राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— 1. श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

3. श्री रामावतार सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9, 12, 19, 20

निर्णय दिनांक :— 17/01/2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1077/1 रकबा 0.3035 है0 ख0न0 115/1 रकबा 0.8978 है, ख0न0 117 रकबा 2.0485 है0 ख0न0 123 रकबा 0.4173 है0 ख0न0 124/2 रकबा 1.6818 है0 ख0न0 1634/116 रकबा 0.5564 है0 किता 6 कुल रकबा 5.9053 है0, वाकै ग्राम आसलपुर, पटवार हल्का आसलपुर, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है और प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है।

प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 26 की आराजी खसरा नम्बर 116, 115/2, 108, 111, 114, 113, 1089, 1088, 1079, 124/3, 124/1, 124/4, 122, 1077/2 की खातेदारी की आराजी है तथा अप्रार्थीगण स02ल026 आए दिन प्रार्थीगण से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न कर झगडा फिसांद पर आमादा रहे है तथा आराजी की सीमा संबंधित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है।

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1077/1 रकबा 0.3035 है0 ख0न0 115/1 रकबा 0.8978 है, ख0न0 117 रकबा 2.0485 है0 ख0न0 123 रकबा 0.4173 है0 ख0न0 124/2 रकबा 1.6818 है0 ख0न0 1634/116 रकबा 0.5564 है0 किता 6 कुल रकबा 5.9053 है0 की सीमा का ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थी सं01 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी सं01 ने हल्का पटवारी को **आदेश कमांक भू0अ0/24/2735 दिनांक 28/6/2024** को प्रार्थीगण की आराजी का सीमा ज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी मय गिरदावर हल्का ने दिनांक 1/7/2024 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की 1 जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की उक्त आरांजी का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी सं01 के कार्यालय मे प्रस्तुत की जिसके पश्चात भी प्रार्थीगण की आराजी की सीमा संबंधित विवाद उत्पन्न हो रखा है। इस कारण प्रार्थीया मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 1/7/2024 के अनुसार प्रार्थीया अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाया उसके आधार पर तारबंदी करवाना चाहती है जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे कोई व्यवधान उत्पन्न नही हो सके और सीमा संबंधित कोई विवाद भविष्य मे उत्पन्न नही हो। इस संबंध मे प्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सं01 के समक्ष जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी सं01 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं01 के कार्यालय से सीमा ज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व अपनी उक्त आराजीकी पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 1077/1 रकबा 0.3035 है0 ख0न0 115/1 रकबा 0.8978 है, ख0न0 117 रकबा 2.0485 है0 ख0न0 123 रकबा 0.4173 है0 ख0न0 124/2 रकबा 1.6818 है0 ख0न0 1634/116 रकबा 0.5564 है0 किता 6 कुल रकबा 5.9053 है0, वाकै ग्राम आसलपुर, पटवार हल्का आसलपुर, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 1/7/2024 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार जोबनेर को प्रदान फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2, 9, 12, 19, 20 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत एवं अस्वीकार है। चूंकि दिनांक 28.06.2024 को मुताबिक आदेश तहसीलदार जोबनेर के आदेश क्रमांक भू–अ/24/2735 की पालना में ग्राम आसलपुर की आराजी का मौके पर सीमा ज्ञान किया गया। उक्त सीमा ज्ञान के समय पडौसी काश्तकार व अन्य मौतबिरान उपस्थित नहीं थे क्योंकि सीमाज्ञान बाबत किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया ओर किसी भी संबंधित पडौसी काश्तकारों को तहसीलदार महोदय जोबनेर या पटवार हल्का आसलपुर द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा उनकी अनुपस्थिति में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2024 को तैयार की गयी है जो मनमर्जी से प्रार्थीया के कहेनुसार तैयार की गयी है जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128. 111 एल0आर0एक्ट खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 02 पूर्व में हुये सीमाज्ञान अनुसार अपनी–अपनी आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया पत्थरगढी की आड में अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान के सभी पडौसी काश्तकारों को प्रार्थीया द्वारा पक्षकारान कायम नहीं किया गया है तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व नियमावली के अनुरूप नहीं होने से उसके आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के लगवा खसरा नं0 102, 115/2, 119 लगायत 122, 124/4, 124/1, 125, 126, 127/1, 131 लगा0 135, 144/2, 145, 1075, 106, 1708/103, 1709/107, 105, 104, 115/1, 117, 124/2, 1077/1, 123, 1634/216 वाके ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर की पत्थरगढी के आदेश दिनांक 09.04.2018 को उनवानी प्रार्थना पत्र सालासर कॉम्पलेक्सेस बनाम बंशीलाल वगै0 प्रकरण 241/217 पुनः दर्ज नंबर 31/18 में दिये जा चुके है जिससे इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान् की सीमा तय हो चुकी है और इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 123, 1077/1, 115/1, 117, 124/1 का पत्थरगढी आदेश भी प्रार्थीगण स्वयं व उनके पिता की उपस्थिति में उपरोक्त आदेश द्वारा किया जा चुका है।

अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत एवं अस्वीकार है। चूंकि दिनांक 28.06.2024 को मुताबिक आदेश तहसीलदार जोबनेर के आदेश क्रमांक भू–अ/24/2735 की पालना में ग्राम आसलपुर की आराजी का मौके पर सीमा ज्ञान किया गया। उक्त सीमा ज्ञान के समय पडौसी काश्तकार व अन्य

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मौतबिरान उपस्थित नहीं थे क्योंकि सीमाज्ञान बाबत किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया ओर किसी भी संबंधित पडौसी काश्तकारों को तहसीलदार महोदय जोबनेर या पटवार हल्का आसलपुर द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा उनकी अनुपस्थिति में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2024 को तैयार की गयी है जो मनमर्जी से प्रार्थीया के कहेनुसार तैयार की गयी है जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128. 111 एल0आर0एक्ट खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 12 पूर्व में हुये सीमाज्ञान अनुसार अपनी–अपनी आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया पत्थरगढी की आड में अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान के सभी पडौसी काश्तकारों को प्रार्थीया द्वारा पक्षकारान कायम नहीं किया गया है तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व नियमावली के अनुरूप नहीं होने से उसके आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के लगवा खसरा नं0 102, 115/2, 119 लगायत 122, 124/4, 124/1, 125, 126, 127/1, 131 लगा0 135, 144/2, 145, 1075, 106, 1708/103, 1709/107, 105, 104, 115/1, 117, 124/2, 1077/1, 123, 1634/216 वाके ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर की पत्थरगढी के आदेश दिनांक 09.04.2018 को उनवानी प्रार्थना पत्र सालासर कॉम्पलेक्सेस बनाम बंशीलाल वगै0 प्रकरण 241/217 पुनः दर्ज नंबर 31/18 में दिये जा चुके है जिससे इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान् की सीमा तय हो चुकी है और इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 123, 1077/1, 115/1, 117, 124/1 का पत्थरगढी आदेश भी प्रार्थीगण स्वयं व उनके पिता की उपस्थिति में उपरोक्त आदेश द्वारा किया जा चुका है।

अप्रार्थी संख्या 19 व 20 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत एवं अस्वीकार है। चूंकि दिनांक 28.06.2024 को मुताबिक आदेश तहसीलदार जोबनेर के आदेश क्रमांक भू–अ/24/2735 की पालना में ग्राम आसलपुर की आराजी का मौके पर सीमा ज्ञान किया गया। उक्त सीमा ज्ञान के समय पडौसी काश्तकार व अन्य मौतबिरान उपस्थित नहीं थे क्योंकि सीमाज्ञान बाबत किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया ओर किसी भी संबंधित पडौसी काश्तकारों को तहसीलदार महोदय जोबनेर या पटवार हल्का आसलपुर द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा उनकी अनुपस्थिति में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2024 को तैयार की गयी है जो मनमर्जी से प्रार्थीया के कहेनुसार तैयार की गयी है जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128. 111 एल0आर0एक्ट खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 19 व 20 पूर्व में हुये सीमाज्ञान अनुसार अपनी–अपनी आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया पत्थरगढी की आड में अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान के सभी पडौसी काश्तकारों को प्रार्थीया द्वारा पक्षकारान कायम नहीं किया गया है तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व नियमावली के अनुरूप नहीं होने से उसके आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के लगवा खसरा नं0 102, 115/2, 119 लगायत 122, 124/4, 124/1, 125, 126, 127/1, 131 लगा0 135, 144/2, 145, 1075, 106, 1708/103, 1709/107, 105, 104, 115/1, 117, 124/2, 1077/1, 123, 1634/216 वाके ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर की पत्थरगढी के आदेश दिनांक 09.04.2018 को उनवानी प्रार्थना पत्र सालासर कॉम्पलेक्सेस बनाम बंशीलाल वगै0 प्रकरण 241/217 पुनः दर्ज नंबर 31/18 में दिये जा चुके है जिससे इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबरान् की सीमा तय हो चुकी है और इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 123, 1077/1, 115/1, 117, 124/1 का पत्थरगढी आदेश भी प्रार्थीगण स्वयं व उनके पिता की उपस्थिति में उपरोक्त आदेश द्वारा किया जा चुका है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र के पत्थरगढी किया जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहरान करते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी पटवार हल्का आसलपुर के की फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम–आसलपुर के अनुसार आराजी खसरा नं0 1077/1, 115/1, 117, 123, 124/2, 1634/116 कुल रकबा 5.9053 है0 का सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2024 को तहसीलदार जोबनेर के आदेश क्रमांक भू0अ0/24/2735 दिनांक 28.06.2024 की पालना में किया गया है। प्रार्थीगण आराजी खसरा नंबरान 1077/1, 115/1, 117, 123, 124/2, 1634/116 वाकै ग्राम आसलपुर के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण स्वयं की आराजी के पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। पत्थरगढी आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू0राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं0 1077/1, 115/1, 117, 123, 124/2, 1634/116 कुल रकबा 5.9053 है0 वाकै ग्राम आसलपुर, पटवार हल्का आसलपुर, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक आसलपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें।

अतः भू0अ0नि0 आसलपुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को टंकित किया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

17/1/2025

मुकुट सिंह (IAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर